



एसीसी नियुक्तियां

Posted On: 21 NOV 2017 6:11PM by PIB Delhi

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव के समतुल्य स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है :

1. श्री राजीव सिंह ठाकुर, आईएएस (आरजे:1995) की नियुक्ति रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर पांच वर्षों के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री जिवेश नंदन, आईएएस (यूपी:1987) के स्थान पर की गई है।
2. श्री रवि कांत, आईओएफएस (1986), संयुक्त सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, की नियुक्ति पार्श्व शिफ्ट आधार पर रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को स्वीकृति दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर कुल पांच वर्षों के कार्यकाल यथा 27 नवम्बर, 2021 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री राजीव वर्मा, आईएएस (यूटी: 1992) के स्थान पर की गई है।
3. श्री हरि प्रसाद पुडी, आईआरएस (1994) की नियुक्ति पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर पांच वर्षों के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री रवि कांत, आईओएफएस (1986) के स्थान पर की गई है।
4. श्री कुमार विनय प्रताप, आईईएस (1992) की नियुक्ति आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को स्वीकृति दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर पांच वर्षों के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति सुश्री शर्मिला चावाली, आईआरएस (1985) के स्थान पर की गई है।
5. श्री कामरान रिजवी, आईएएस (यूपी:1991) की नियुक्ति ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर पांच वर्षों के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री राजेश भूषण, आईएएस (बीएच:1987) के स्थान पर की गई है।
6. श्री सचिन सिन्हा, आईएएस (एमपी:1995) की नियुक्ति स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर पांच वर्षों के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री अजय टिकी, आईएएस (एमपी: 1987) के स्थान पर की गई है।
7. श्री वी. शशांक शेखर, आईएएस (एनएल:1996), संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय की नियुक्ति पार्श्व शिफ्ट आधार पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को स्वीकृति दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर कुल पांच वर्षों के कार्यकाल यथा 16 नवम्बर, 2019 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति सुश्री अनिता कारवाल, आईएएस (जीजे:1988) के स्थान पर की गई है।
8. श्री पंकज राग, आईएएस (एमपी:1990), संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय की नियुक्ति पार्श्व शिफ्ट आधार पर खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर कुल पांच वर्षों के कार्यकाल यथा 17 मार्च, 2019 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री राजवीर सिंह, आईएडएस (1991) के स्थान पर की गई है।
9. श्री सुशील कुमार सिंगला, आईएफओएस (एचपी:1994) की नियुक्ति भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर सात वर्षों के संयुक्त कार्यकाल यथा 11 जनवरी, 2019 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी, आईएएस (एपी:1993) के स्थान पर की गई है।
10. श्री अनुज शर्मा, आईडीईएस (1991) की नियुक्ति गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर कुल पांच वर्षों के कार्यकाल यथा 24 सितम्बर, 2018 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री ए.आर. सुले, आईडीएस (1993) के स्थान पर की गई है।
11. श्री धर्मा रेड्डी अला, आईडीईएस (1991) की नियुक्ति गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में करने को स्वीकृति दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर कुल पांच वर्षों के कार्यकाल यथा 15 अप्रैल, 2020 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री वी. शशांक शेखर, आईएएस (एनएल:1996) के स्थान पर की गई है।
12. श्री संजय कुमार सिन्हा, आईएफओएस (जेके:1993) की नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर कुल पांच वर्षों के कार्यकाल यथा 23 अगस्त, 2020 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री राकेश रंजन, आईएएस (एमएन:1992) के स्थान पर की गई है।
13. श्री श्रवण कुमार, आईआरएस (आईटी:1991) की नियुक्ति संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर सात वर्षों के संयुक्त कार्यकाल यथा 7 जून, 2019 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री पंकज राग, आईएएस (एमपी:1990) के स्थान पर की गई है।
14. श्री अनंत स्वरूप, आईआरपीएस (1992) की नियुक्ति वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर पांच वर्षों के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री अली रजा रिजवी, आईएएस (एचपी:1988) के स्थान पर की गई है।
15. श्री जतिनद्र नाथ स्वेन, आईएएस (टीएन:1988) की नियुक्ति पार्श्व शिफ्ट आधार पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर कुल पांच वर्षों के कार्यकाल यथा 4 जून, 2022 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
16. श्री संजय रस्तोगी, आईएएस (ओडी:1991) की नियुक्ति कपड़ा मंत्रालय में विकास आयुक्त (हथकरघा) (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर पांच वर्षों के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री आलोक कुमार, आईएएस (यूपी:1988) के स्थान पर की गई है।
17. श्री सुदीप कुमार नायक, आईएएस (जेके:1988) की नियुक्ति कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के अधीनस्थ एनसीडीसीआई के प्रबंध निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर पांच वर्षों के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्रीमती वसुधा मिश्रा, आईएएस (टीजी:1987) के स्थान पर की गई है।
18. श्री अनूप श्रीवास्तव, आईडीएस (1989) की नियुक्ति अंतरिक्ष विभाग में संयुक्त सचिव एवं एफए के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर कुल पांच वर्षों के कार्यकाल यथा 31 मार्च, 2021 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति अंतरिक्ष विभाग के अधीनस्थ अपर सचिव एवं एफए के एक पद को अस्थायी रूप से पदावनत करते हुए की गई है।
19. श्री केशव चंद्र, आईएएस (यूटी:1995) की नियुक्ति वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव (लॉजिस्टिक्स) के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर कुल पांच वर्षों के कार्यकाल यथा 31 मार्च, 2021 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति वाणिज्य विभाग में लॉजिस्टिक्स प्रभाग के निदेशक के नव सृजित पद को अस्थायी रूप से संयुक्त सचिव के रूप में पदोन्नत करते हुए की गई है।
20. श्री पी. शकील अहमद, आईएएस (एम:1995) की नियुक्ति 'सौभाग्य' योजना के क्रियान्वहन के लिए विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक/ओएसडी के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति 24 जून, 2019 तक के सात वर्षों के संयुक्त कार्यकाल के लिए की गई है। एकबारगी उपाय के रूप में इस पद को गैर-सीएसएस मानते हुए यह नियुक्ति की गई है।

वीके/आरआरएस/वाईबी- 5527



